भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1801
(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थी

1801. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत चिह्नित किए गए पात्र लाभार्थियों की संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तव में कवर किए गए लाभार्थियों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम क्या हैं जहाँ राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) को लागू नहीं किया गया था या आंशिक रूप से लागू किया गया था और राज्य-वार इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों के कवरेज , सक्रिय पहचान, डेटाबेस के रख-रखाव और एनएपी के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की पेंशन योजनाओं और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) के तहत लाभार्थियों की संख्या पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सीमा **अनुबंध** में दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) के तहत , 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के प्राथमिक जीविकोपार्जक की मृत्यु की स्थिति में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के शोक संतप्त परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है। यह एक मांग आधारित योजना है। निधियों को जारी करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्भर है, जो योजना दिशानिर्देशों और वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किए गए

हो । योजना के तहत निधियां, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पात्र लाभार्थियों की संख्या के आधार पर जारी की जाती है, जिनका डेटाबेस एनएसएपी-पीपीएस (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-पेंशन भुगतान प्रणाली) पोर्टल पर डिजिटलीकृत किया गया है या लाभार्थियों की संख्या की राज्य सीमा , जो भी कम हो। चूंकि यह योजना मांग-आधारित है, इसलिए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्यों को निधियां जारी की जाती है।

(ग) एनएसएपी लाभार्थियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए योजना-वार अधिकतम/उच्चतम सीमा के साथ 3.09 करोड़ बीपीएल लाभार्थियों को लाभान्वित करता है। वर्तमान में, एनएसएपी के तहत पेंशन योजनाओं ने लगभग 100% संतृप्ति प्राप्त कर ली है। हालाँकि , यदि अधिक योग्य लाभार्थी हैं तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से सहायता दे सकते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित जानकारी के अनुसार, लगभग 5.87 करोड़ अतिरिक्त पेंशनभोगियों को राज्य द्वारा वित्त पोषित सामाजिक पेंशन योजनाओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार , एनएसएपी योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी , लाभार्थियों की पहचान/सत्यापन, लाभार्थियों को पेंशन का वितरण, पेंशन पर रोक, लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हाथ में है।

एक वेब-आधारित पेंशन भुगतान पोर्टल , एनएसएपी-पीपीएस (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-पेंशन भुगतान प्रणाली) को चालू किया गया है जिसका उपयोग पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले पेंशन लाभों के प्रबंधन और निगरानी के लिए किया जाता है। पोर्टल पेंशन वितरण में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी रिकॉर्ड के रखरखाव, पेंशन मंजूरी की प्रक्रिया, निधि वितरण की ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है।

*****

अनुबंध

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थी के संबंध में लोक सभा में दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1801 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनएसएपी की पेंशन योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की अधिकतम संख्या सीमा (एनएफबीएस को छोड़कर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की अधिकतम /उच्चतम संख्या सीमा
1	आंध्र प्रदेश	934980
2	बिहार	3919447
3	छत्तीसगढ़	880142
4	गोवा	13660
5	गुजरात	916953
6	हरियाणा	347256
7	हिमाचल प्रदेश	116005
8	झारखंड	1277520
9	कर्नाटक	1396274
10	केरल	846456
11	मध्य प्रदेश	2223469
12	महाराष्ट्र	1212967
13	ओडिशा	2033959
14	पंजाब	138231
15	राजस्थान	1169533
16	तमिलनाडु	1920858
17	तेलंगाना	681613
18	उत्तर प्रदेश	5833622
19	उत्तराखंड	231335
20	पश्चिम बंगाल	2067272
पूर्वोत्तर राज्य		
21	अरुणाचल प्रदेश	6293
22	असम	850531
23	मणिपुर	63971

24	मेघालय	65316
25	मिजोरम	27524
26	नागालैंड	50779
27	सिक्किम	18854
28	त्रिपुरा	154900
संघ राज्य क्षेत्र		
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	590
30	चंडीगढ़	4964
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	11173
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	154820
33	जम्मू और कश्मीर	140394
34	लद्दाख	7148
35	लक्षद्वीप	293
36	पुदुचेरी	28805
	कुल	**29747907**

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की अधिकतम/उच्चतम संख्या सीमा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की अधिकतम/उच्चतम संख्या सीमा
1	आंध्र प्रदेश	10906
2	बिहार	35859
3	छत्तीसगढ़	12801
4	गोवा	225
5	गुजरात	10695
6	हरियाणा	4154
7	हिमाचल प्रदेश	684
8	झारखंड	14148
9	कर्नाटक	18312
10	केरल	4358
11	मध्य प्रदेश	30826
12	महाराष्ट्र	34987
13	ओडिशा	24697
14	पंजाब	2673
15	राजस्थान	12347
16	तमिलनाडु	18445
17	तेलंगाना	7794
18	उत्तर प्रदेश	73075
19	उत्तराखंड	4808
20	पश्चिम बंगाल	21553
21	अरुणाचल प्रदेश	346
22	असम	8524
23	मणिपुर	669
24	मेघालय	781
29	मिजोरम	197
26	नागालैंड	535
27	सिक्किम	175
28	त्रिपुरा	984

29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	86
30	चंडीगढ़	80
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	119
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2270
33	जम्मू और कश्मीर	323
34	लद्दाख	112
35	लक्षद्वीप	9
36	पुदुचेरी	283
	कुल	**358840**

****